

28³/₂₅ पत्नी पेशा दुष्टी वकील वापी नुकसित होने के
कारण नुकसानी स्वयं न्या. पत्र से संबंधित नुकसानी

~~उपस्थित~~
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरु)

हुकम या कार्यवाही विवरण

कम जैसी लयम हाजरी में खरिज किया जा चुका है मूल वाद खरिज किये जाने के कारण शक इस स्वयं प्रामाण्य का कोई शोषित नही रह जाता है ततः मूल वाद खरिज होने के कारण यह प्रामाण्य भी खरिज किया जाता है जसावगी फैसला सुमर हीकर मंकर से काम की जाकर सम्पिल हस्तक से।

Jayaram
उपखण्ड अधिकारी

तारानगर(चूरु)